भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †870

उत्तर देने की तारीख 07 फरवरी, 2022 (सोमवार)

18 माघ, 1943 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्टार्ट-अप

†870. श्री सत्यदेव पचौरी:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर-पूर्वी राज्य स्टार्ट-अप का केंद्र बन रहे हैं और सरकार उक्त राज्यों में हवाई, रेल और सड़क संपर्क में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्टार्ट-अप के लिए कॉल सेंटर आरंभ किए हैं ताकि युवा अपने विचारों को साझा करके नीति निर्माण में भागीदार बन सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर-पूर्व के विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के साथ-साथ उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त आवंटन किया गया है;

(घ) उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्टार्ट-अप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या सहित अनुमोदन प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पूर्वोत्तर को एक औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) जी, हां। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में इनक्यूबेटर, एक्सीलरेटर और अन्य उद्यम निधियों जैसे स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारक उभरे हैं, जिससे बड़ी संख्या में स्टार्ट-अप शुरु हुए हैं। 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने अरुणाचल प्रदेश (8), असम (499), मणिपुर (68), मेघालय (17), मिजोरम (6), नागालैंड (21), सिक्किम (8), और त्रिपुरा (47) सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 674 स्टार्ट-अप को मान्यता दी है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर उद्यम निधि (एनईवीएफ) के माध्यम से उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड ने अब तक 22 स्टार्ट-अप्स को कुल 41.14 करोड़ रुपये जारी किए हैं और कुल 36 प्रस्तावों को 74.76 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है।

सरकार ने हवाई, रेल और सड़क संपर्क में सुधार के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पहलें की हैं जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में तेजी आई है। इन पहलों का सारांश **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) आकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों के स्टार्ट-अप इंडिया पहल से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया एक टोल फ्री नंबर 1800115565 संचालित करता है।

(ग) वर्ष 2014-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के बड़े पैमाने पर विकास के लिए सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी 54 गैर-छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% खर्च करना अनिवार्य है। पूर्वोत्तर राज्यों में 10% जीबीएस के संबंध में 2014-15 से 2022-23 की अवधि के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2014-15	36,107.56	27,359.17	24,819.18
2015-16	29,087.93	29,669.22	28,673.73
2016-17	29,124.79	32,180.08	29,367.90
2017-18	43,244.64	40,971.69	39,753.44
2018-19	47,994.88	47,087.95	46,054.80
2019-20	59,369.90	53,374.19	48,533.80
2020-21	60,112.11	51,270.90	48,563.82
2021-22	**68,020.24**	**68,440.26**	**38,456.00***
2022-23	**76,040.07**		

स्रोत: केंद्रीय बजट का विवरण 11/23, विभिन्न वर्ष

नोट : वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा के अध्यधीन हैं।

* 31.12.2021 तक, 54 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार।

(घ) डीपीआईआईटी द्वारा 19 फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना जीएसआर 127 (ई) के अनुसार किसी एन्टिटी को निम्नानुसार एक स्टार्ट-अप माना जाता हैः

i. निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक, यदि वह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।

ii. निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एन्टिटी का कुल कारोबार सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो।

iii. यदि वह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है, अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए निदेशक/भागीदार के व्यवसाय के संबंध में कोई रोक नहीं है। इसलिए स्टार्ट-अप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या के बारे में कोई डेटा कैप्चर नहीं किया जा रहा है।

(ङ) उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 पांच वर्षों की अवधि के लिए 01.04.2017 से लागू है। यह स्कीम पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के सभी राज्यों के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को कवर करती है। इस स्कीम के तहत प्रदान किए गए विभिन्न लाभों में शामिल हैं: (i) ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन; (ii) केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन; (iii) केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन; (iv) आयकर प्रतिपूर्ति; (v) वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति; (vi) रोजगार प्रोत्साहन और (vii) परिवहन प्रोत्साहन। स्कीम के सभी घटकों के तहत लाभ के लिए 200 करोड़ रुपये प्रति यूनिट की कुल सीमा है। अक्टूबर 2021 के अंत तक एनईआईडीएस के तहत 2,631.19 करोड़ रुपये के प्रस्तावित कुल निवेश के साथ कुल 391 नई औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण प्रदान किया गया है। इन औद्योगिक इकाइयों के लिए कुल संभावित प्रोत्साहन 1,740.06 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों सहित 54 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा 10% सकल बजटीय सहायता के अंतर्गत व्यय के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

*****

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्टार्ट-अप के संबंध में दिनांक 07.02.2022 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 870 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध-I

<u>अनुबंध-I</u>

- **हवाई संपर्कः** अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी और तेजू में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे**;** असम में डिब्रूगढ़**,** गुवाहाटी और सिलचर हवाई अड्डे**;** मणिपुर में इम्फाल हवाई अड्डा**;** मेघालय में बारापानी हवाई अड्डा और त्रिपुरा में अगरतला हवाई अड्डा आदि का जारी विकास। जनवरी, 2022 में प्रधानमंत्री ने अगरतला में महाराजा बीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।

- **रेल संपर्क:** वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह से/आंशिक रूप से आने वाली 2,011 किमी लंबाई के लिए 74,485 करोड़ रुपये की लागत वाली नई लाइनों के साथ-साथ दोहरीकरण के लिए 20 परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 321 किमी लंबाई पर कार्य शुरू कर दिया गया है और मार्च, 2021 तक 26,874 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

- **सड़क संपर्क:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही प्रमुख राजधानी सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं में नागालैंड में दीमापुर-कोहिमा सड़क (62.9 किमी) की 4-लेनिंग; अरुणाचल प्रदेश में नौगांव बाईपास से होलोंगी (167 किमी) तक 4-लेनिंग; सिक्किम में बागराकोटे से पाक्योंग (एनएच-717ए) (152 किमी) तक वैकल्पिक दो-लेन राजमार्ग; मिजोरम में आइजोल - तुइपांग एनएच-54 (351 किमी) की 2-लेनिंग; मणिपुर में एनएच-39 के इंफाल - मोरे खंड (20 किमी) की 4-लेनिंग और 75.4 किमी की 2-लेनिंग शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जारी सड़क निर्माण कार्यों की लागत 79,953.39 करोड़ रुपए है।

- इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न सामाजिक और अवसंरचना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। पूर्ववर्ती अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) स्कीम के तहत, 16,233.78 करोड़ रुपये की 1653 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 9,557.20 करोड़ रुपये की 1,204 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 6,676.59 करोड़ रुपये की 431 परियोजनाओं को उनके पूरा होने तक वित्त पोषित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) के अंतर्गत 2,563.14 करोड़ रुपये की 110 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और ये परियोजनाएं पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं।

- एनईसी ने एनईसी की स्कीमों और उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस) के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान 1,318.22 करोड़ रुपये की लागत वाली 21 परियोजनाएं भी स्वीकृत की हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

*****